इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2022—भाद्र 4, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2022

क्र. एफ 11-146-2019-सूअप्र-एक-9-699.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, सपत्नीक दिनांक 10 से 14 अगस्त, 2022 तक भोपाल से पुणे (महाराष्ट्र) जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2022 की प्रथम एल.टी.सी. अथवा दिनांक 11, 13 एवं 14 अगस्त, 2022 को शासकीय अवकाश व दिनांक 10 एवं 12 अगस्त 2022 दो दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ उक्त अवधि की एल.टी.सी. एवं एल.टी.सी. के सह प्रयोज्य ''10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण'' का तीसरी बार लाभ लिये जाने की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2022

क्र. एफ 1(ए) 139-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे सेनानी, 13वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2022-23 में दिनांक 25 जुलाई 2022 व 3 अगस्त 2022 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-24 जुलाई 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अन्तर्गत तमिलनाडु हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1. श्री राकेश कुमार सिंह — स्वयं
2. श्रीमती सुनीता सिंह — पत्नी
3. श्री चारूदत्त सिंह — पुत्र

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

(2) श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्यप्रभार श्री एम. एस. मण्डलोई, रापुसे, उप सेनानी, 13वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 13वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पु. मु., भोपाल को दिनांक 22 से 26 अगस्त 2022 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 अगस्त 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2022

फा. क्र. 3358-2022-इक्कीस-ब (एक).—यत; भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस् एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2006 के अनुपालन में और राज्य परिषद् के आदेश दिनांक 05 जून, 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई है;

और, यतः उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून, 2006 के पैरा 8(2) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगा.

अतएव, इस संबंध में जारी इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की निरंतरता में, राज्य शासन, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, के परामर्श से, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में वर्णित राज्य में के निम्नलिखित निजी चिकित्सालय को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनु-क्रमांक	जिला	चिकित्सालयों का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	बुरहानपुर	एप्पल सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल्स एल एल पी, गोविन्दपुरा कॉलोनी, मोहम्मदपुरा, बुरहानपुर (म. प्र.) पिन-450 331
2.	बुरहानपुर	ऑल इज वेल, मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल, मेक्रो विजन एकेडमी के पास, मोहम्मदपुरा, बुरहानपुर (म. प्र.) पिन-450 331

F. No. 3358-2022-XXI-B(1).—WHEREAS, in compliance of the order dated 21st February, 2006 passed by the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 1022/89 All India Judges Association and Others Versus Union of India and others and in compliance of the order dated 5th June, 2006 of the State Council the Law and Legislative Affairs Department vide its order dated 15th June, 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers posted in Madhya Pradesh;

AND, WHEREAS, Para 8(2) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June, 2006 provides that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working/retired Judicial Officers and their family members;

Now, therefore, in continuation of this department's all previous notifications issued in this regard, the State Government, in consultation with the Director,

Health Services, Madhya Pradesh, hereby, notifies the following private hospitals in the State mentioned in column (3) of the table below for treatment of working/retired Judicial Officers and their family members, namely :—

TABLE

S. No.	District	Name of Hospitals
(1)	(2)	(3)
1.	Burhanpur	Apple Super Speciality Hospitals LLP, Govindpura Colony, Mohammadpura, Burhanpur (M. P.) Pin 450 331.
2.	Burhanpur	All is Well Multi Speciality Hospital Near Macro Vision Academy, Mohammadpura, Burhanpur (M. P.) Pin 450 331.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022

फा. क्र. 2955-इक्कीस-ब (दो) 22.—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 17 जून 2021 की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24(8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री अजय कुमार चतुर्वेदी, अधिवक्ता, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 12 जून 2022 से पुन: एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है. उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप पारिश्रमिक इत्यादि का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश चन्द्र शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2022

पंजी. क्र. 2916-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला ग्वालियर में विभागीय आदेश दिनांक 11 जुलाई 1995 द्वारा नोटरी के पद पर नियुक्त श्री श्याम सुंदर जैन के विरूद्ध प्रधान जिला एवं संत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के जांच प्रतिवेदन के अनुसार उनके लगातार अस्वस्थ रहने के कारण नोटरी व्यवसाय आगे चालू नहीं रखने के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भटेले, अतिरिक्त सचिव.

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2022

क्र. एफ 4-3-2022-छत्तीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती ज्योति टोप्पो, उप संचालक, संचालनालय, मत्स्योद्योग, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश, मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल के पद पर पदस्थ करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील मड़ावी, अवर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2022

क्र. एफ 16-52-2022-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरीस लि., बीना, जिला सागर, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्रों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बायलर क्रमांक	प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि	छूट की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एमपी/4847	05-07-2022	30-04-2023
2.	एमपी/4846	05-07-2022	30-04-2023
3.	एमपी/4840	05-07-2022	30-04-2023
4.	एमपी/4801	15-07-2022	30-04-2023
5.	एमपी/4802	15-07-2022	30-04-2023
6.	एमपी/5292	19-07-2022	30-04-2023
7.	एमपी/5293	19-07-2022	30-04-2023

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियम कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम, 385 क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुक्ल अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2022

क्र. एफ 16-18-2022-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगलिया, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5269/एवं वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5223 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बायलर क्रमांक	प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि	छूट की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एमपी/5269	15-06-2022	14-07-2022
2.	एमपी/5223	22-07-2022	21-10-2022

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियम कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम, 385 क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

क्र. एफ 16-57-2020-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगलिया, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5027 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 21 सितम्बर 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम, 385 क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 12 जुलाई 2022

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

क्र. 3083-भू-अर्जन-22-प्र. क्र. 01-अ-82-21-22.—एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "कस्बा जावरा स्थित भूमि पिपलियाखाल सौन्दर्यीकरण एवं प्रदूषण मुक्ति कार्य योजना के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट" हेतु तहसील जावरा, जिला रतलाम के निर्माण हेतु निम्न खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 112-2-2014-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः निम्न भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा :—

क्र.	भूमि धारक का नाम/पता	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्रीमती सम्पतबाई पति राधेश्याम नन्दकिशोर पिता राधेश्याम निवासी-जावरा, जिला रतलाम.	759	1.2520	1.2520	-	1.2520

नरेन्द्र सूर्यवंशी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 1 अगस्त 2022

प्र. क्र. 05-अ-82-वर्ष-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ	विश्रामगंज	निजी भूमि पर स्थित 08 मकानों (क्षेत्रफल 328.95 वर्ग मी.) का एवं शासकीय भूमि पर स्थित 04 मकानों (क्षेत्रफल 128.04 वर्ग मी.) कुल 12 मकानों (क्षेत्रफल 456.99 वर्ग मी.).	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पवई.	रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु ग्राम विश्रामगंज के डूब प्रभावित छूटे हुए मकानों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 जुलाई 2022

पत्र क्र. 199-प्रका.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मऊगंज

(ग) ग्राम—झलवार

(घ) क्षेत्रफल—0.024 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
152	0.024
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.024
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत जीरो वैलोसिटी निर्माण कार्य हेतु'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022

सूचना

क्रमांक–एफ–3–42/2022/18–5:– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि0क0अ0 सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक–1935/टी सी/84/सिंगरौली/उपां/नग्रानि/2022 दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सिंगरौली विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:–

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	बैढ़न	234 का भाग	0.2020 में से 0.0670	आवासीय (कृषि कार्यालय)	मिश्रित
2	बैढ़न	235 का भाग	0.0690 में से 0.0440	आंशिक आवासीय तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (कृषि कार्यालय)	मिश्रित
3	बैढ़न	236 का भाग	0.1170 में से 0.0480	आवासीय (कृषि कार्यालय)	मिश्रित
4	बैढ़न	237 का भाग	0.0320 में से 0.0200	आवासीय (कृषि कार्यालय)	मिश्रित
5	बैढ़न	238 का भाग	0.1210 में से 0.0250	आवासीय (कृषि कार्यालय)	मिश्रित
		कुल रकबा	0.5400 में से 0.2040 हेक्टेयर		

शर्ते:–

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियॉ मान्य होगी ।
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगें ।
3. प्रश्नाधीन स्थल के पूर्व दिशा में स्थित मार्ग की चौड़ाई 12.0 मीटर रखा जाना आवश्यक होगा ।
4. उपरोक्त उपांतरण सिंगरौली विकास योजना 2031 का एकीकृत भांग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2022

सूचना

क्रमांक–एफ–3–40/2022/18–5:– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक–1793/टी सी/73/उमरिया(शहडोल)/उपां/नग्रानि/2021 भोपाल दिनांक 22/04/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित उमरिया विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:–

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम खलेसर तहसील बांधवगढ़ जिला शहडोल	334/1/1	0.0810	कृषि	आवासीय
2		334/680/1	0.0290	कृषि	आवासीय
3		334/2	0.2830	कृषि	आवासीय
4		334/680/2	0.280	कृषि	आवासीय
5		317/2	0.1450	कृषि	आवासीय
6		318/2	0.1700	कृषि	आवासीय
7		345	0.3320	कृषि	आवासीय
8		347	0.2060	कृषि	आवासीय
9		348	0.2020	कृषि	आवासीय
10		348/684	0.0320	कृषि	आवासीय
11		336	0.5710	कृषि	आवासीय
12		336/682	0.0660	कृषि	आवासीय

13		346 / 2	0.1740	कृषि	आवासीय
14		316 / 2	0.1640	कृषि	आवासीय
15		341 / 1	0.2860	कृषि	आवासीय
16		316 / 1	0.1640	कृषि	आवासीय
17		338	0.2140	कृषि	आवासीय
18		351 / 1	0.2050	कृषि	आवासीय
19		351 / 2	0.2040	कृषि	आवासीय
20		352 / 1	0.1230	कृषि	आवासीय
21		352 / 2	0.2050	कृषि	आवासीय
22		319 / 1 / 3 / 1	0.0300	कृषि	आवासीय
23		321 / 1 / 2	0.4050	कृषि	आवासीय
24		340	0.6440	कृषि	आवासीय
25		341 / 2	0.2850	कृषि	आवासीय
26		337 / 1 / 2	0.2020	कृषि	आवासीय
27		353 / 2	0.2020	कृषि	आवासीय
28		317 / 1	0.1460	कृषि	आवासीय
29		318 / 1	0.1700	कृषि	आवासीय
30		353 / 1	0.2030	कृषि	आवासीय
31		339	0.1620	कृषि	आवासीय
32		337 / 1 / 1 / 1	0.0520	कृषि	आवासीय

33		337/683/1	0.0070	कृषि	आवासीय
34		337/683/3	0.0070	कृषि	आवासीय
35		337/1/1/4	0.0510	कृषि	आवासीय
36		337/683/4	0.0070	कृषि	आवासीय
37		337/1/1/2	0.0510	कृषि	आवासीय
38		337/683/2	0.0080	कृषि	आवासीय
39		337/1/1/3	0.0510	कृषि	आवासीय
40		337/1/1/5	0.0510	कृषि	आवासीय
41		337/683/5	0.0070	कृषि	आवासीय
		योग	6.664 हेक्टेयर		

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अंतर्गत देय राशि रू. 1,68,59,920./-(एक करोड़ अडसठ लाख उनसठ हजार नौ सौ बीस रूपये मात्र) दिनांक 05/08/2022 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जिला-उमरिया के चालान क्रमांक-051/999999/0217/08/22/00136 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है ।
2. उपरोक्त उपांतरण उमरिया विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

क्रमांक–एफ–3–41/2022/18–5:– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम[1] (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक–5233/टी सी/50/भोपाल/उमां/नग्रानि/2021 भोपाल दिनांक 26/11/2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:–

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	झागरिया खुर्द	283(एस)	0.220	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
2	झागरिया खुर्द	284(एस)	0.940	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
3	झागरिया खुर्द	285(एस)	0.670	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
4	झागरिया खुर्द	286(एस)	1.500	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
5	झागरिया खुर्द	287(एस)	0.010	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
6	झागरिया खुर्द	288/1(एस)	0.260	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
7	झागरिया खुर्द	288/2(एस)	0.050	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
8	झागरिया खुर्द	292/1(एस)	1.480	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
9	झागरिया खुर्द	292/2(एस)	0.110	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
10	झागरिया खुर्द	292/3(एस)	0.050	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
11	झागरिया खुर्द	293(एस)	1.190	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
12	झागरिया खुर्द	294एस)	0.250	कृषि	प्रस्तावित आवासीय

13	झागरिया खुर्द	295(एस)	0.480	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
14	झागरिया खुर्द	296(एस)	1.300	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
15	झागरिया खुर्द	297/1(एस)	0.300	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
16	झागरिया खुर्द	297/2(एस)	0.140	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
17	झागरिया खुर्द	298/1(एस)	0.873	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
18	झागरिया खुर्द	298/2(एस)	0.447	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
19	झागरिया खुर्द	299(एस)	0.230	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
20	झागरिया खुर्द	300(एस)	0.430	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
21	झागरिया खुर्द	308/2(एस)	0.300	कृषि	प्रस्तावित आवासीय
		योग :–	11.30 हेक्टेयर		

शर्तें :–

1. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर–पश्चिम दिशा में अवस्थित मुख्य नहर के मध्य से 30.00 मीटर का खुला क्षेत्र रखा जाना आवश्यक होगा ।
2. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अंतर्गत देय राशि रू. 3,07,36,000/--(तीन करोड़ सात लाख छत्तीस हजार रूपये मात्र) दिनांक 08/08/2022 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जिला–भोपाल के चालान क्रमांक–051/9999999/0217/08/22/000179 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है ।
2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 को एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, भू–अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरसूद, जिला खण्डवा

राजस्व प्र.क्र.–0003–अ–59–2020–21–पत्र क्र.–वा–1–भू–अर्जन–2022–3269 हरसूद, दिनांक 10 अगस्त 2021

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– क/वा–1/भू–अर्जन/2021/हरसूद, दिनांक 16/03/2021** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर **में जल परिवहन हेतु ग्राम– सुडवाडिया, प.ह.न 44,** रा.नि.मं.– **03, छनेरा, तहसील– हरसूद, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 26.03.2021** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम– सुडवाडिया, प.ह.न 44	43/2	0.038
			43/4	0.019
			43/9	0.049
			43/10	0.014
			45/2	0.030

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम– सुडवाडिया, प.ह.न 44	65/3	0.061
			80	0.029
			83	0.008
			85	0.030
			86	0.079
			108	0.008
			109/1/1	0.042
			109/1/2	0.041
			111/1	0.031
			111/3	0.056
			113/1	0.054
			113/2	0.034
			113/3	0.007
			113/4	0.016
		कुल योग	**19**	**0.646**

क्र.–क–वा–1–भू–अर्जन–2022

//संशोधित सार्वजनिक अधिसूचना//

मध्य प्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाउस क्रमांक– 01 से ग्राम– गोहलारी, प0ह0नं0 59 में निर्माणाधीन पम्प हाउस क्रमांक– 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम– उण्डेल माल, तहसील– हरसूद, जिला– खण्डवा (म0प्र0)** की निजी भूमि का भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट के अंतर्गत प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को **ग्राम– उण्डेल माल, तहसील– हरसूद, जिला– खण्डवा (म0प्र0)** के खातेदारों को निजी भूमि से सिंचाई के लिए पम्पिंग पद्धति से पानी हेतु पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उक्त भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूचि में वर्णित है, उपयोग के लिए अधिकारों का अर्जन किया जाये।

अतएव म0प्र0 भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाने के संबंध में सक्षम भू–अर्जन अधिकारी तहसील हरसूद जिला खण्डवा को लिखित में समक्ष में प्रस्तुत कर सकता है अथवा भेज सकता है।

–:अनुसूची:–

क0	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	तहसील	जिला	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे0 में)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	उण्डेल माल/43	हरसूद	खण्डवा	25	4.470	0.066
02				26/3	0.440	0.016
03				28/2	2.000	0.022
04				28/3	1.300	0.044
05				28/4	0.670	0.018
06				28/5	0.700	0.020
07				33/2	1.860	0.047
08				34/1	0.530	0.013
09				34/2	2.320	0.052
10				34/3/1	0.140	0.008
11				34/3/2	0.500	0.021

12				34/3/3	0.500	0.021
13				34/4	1.200	0.028
14				40	1.730	0.083
15				48	4.600	0.107
16				57/3	0.810	0.005
17				57/4	0.810	0.022
18				63/1	2.310	0.034
19				64	1.420	0.025
20				68/1/1	1.080	0.011
21				68/1/2	0.430	0.014
22				68/1/3	1.080	0.017
23				68/1/4	0.080	0.018
24				68/1/5	0.080	0.012
25				71/1	0.320	0.012
26				71/2	0.320	0.023
27				71/3	0.330	0.009
28				73/1	4.670	0.075
29				73/2	0.520	0.008
30				119/1	1.700	0.009
31				119/2	1.700	0.067
32				119/3	0.850	0.025
33				119/4	0.850	0.021
34				133/1	0.600	0.035
35				133/2	0.730	0.023
36				133/3	0.720	0.025
37				133/4	0.720	0.080
38				133/5/1	0.320	0.010
39				133/5/2	0.400	0.011
40				135/3	2.320	0.045
41				135/4	2.100	0.029
42				140/1	1.400	0.099
43				140/3/2	1.000	0.024
	कुल–			**43**	**54.830**	**1.380**

दलीप कुमार, अनुविभागीय एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व).

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन III, डी.विंग, प्रथम तल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2022

क्रमांक एफ-31-01/2019/सत्ताईस-एक-राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा-2 की उपधारा-(1) के खण्ड (क) सहपठित मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 554, दिनांक 01.12.2014 द्वारा प्रकाशित नियम-3 के उप-नियम (10) में पदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम-6 में विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये इस सारणी के कॉलम-4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र अधिसूचित करता है :-

स.क्र.	जल उपभोक्ता संथा का नाम	तहसील	कार्य का कमाण्ड क्षेत्र		
			प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	विस्तार क्षेत्र हेक्टेयर में	कृषक संगठनों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	ऑखीवाडा	गोटेगांव	12	1315.989	1
2	भैंसा	गोटेगांव	12	2309.44	1
3	देवरी	गोटेगांव	12	1169.00	1
4	कमोद	गोटेगांव	12	2647.00	1
5	मनकवारा	गोटेगांव	12	1959.47	1
6	दबकिया	गोटेगांव	12	2116.170	1
7	देवनगर	गोटेगांव	12	1977.729	1
8	कुसीवाड़ा	गोटेगांव	12	1513.072	1
9	बगासपुर	गोटेगांव	12	1130.343	1
10	खमरिया	गोटेगांव	12	2875.184	1
11	तिंदनी	नरसिंहपुर	12	1864.12	1
12	मुराछ	नरसिंहपुर	12	1225.60	1
13	धमना	नरसिंहपुर	12	1344.808	1
14	मचवारा	नरसिंहपुर	12	1442.774	1
15	ठेमी	गोटेगांव	12	2166.986	1
16	करकबेल	गोटेगांव	12	1891.070	1
17	बौछार	गोटेगांव	12	1544.366	1
18	बरखेडा	नरसिंहपुर	12	2273.075	1
19	निवारी	करेली	12	2206.150	1
20	गोबरगांव	करेली	12	2986.549	1
21	खुरपा	नरसिंहपुर	12	1045.00	1

1	2	3	4	5	6
22	तिंदनी	नरसिंहपुर	12	1517.180	1
23	शाहपुर	गाडरवारा	12	1810.00	1
24	पनारी	गाडरवारा	12	1091.00	1
25	बौहानी	गाडरवारा	12	1142.00	1
26	कोडिया	गाडरवारा	12	1250.00	1
27	चिरहकला	गाडरवारा	12	1262.00	1
28	भैंसा	गाडरवारा	12	1582.00	1
29	खेरीकला	गाडरवारा	12	1687.00	1
30	डुंगरिया	गाडरवारा	12	622.00	1
31	ढाडिया	गाडरवारा	12	1317.00	1
32	चिरचिरा	गाडरवारा	12	1093.00	1
33	भौंरझिर	गाडरवारा	12	838.00	1
34	विलौनी	गाडरवारा	12	864.00	1
35	कुसमी	गाडरवारा	12	1269.00	1
36	खुलरी	गाडरवारा	12	1082.00	1
37	कनवास	गाडरवारा	12	2038.00	1
38	हर्रई	गाडरवारा	12	1417.00	1
39	मोहद	करेली	12	1778.00	1
40	सडूमर	गाडरवारा	12	1335.00	1
41	बटेसरा	गाडरवारा	12	1022.00	1
42	मडेसुर	गाडरवारा	12	1149.00	1
43	करेली	करेली	12	1346.00	1
44	रांकई	करेली	12	1071.00	1
45	बम्हौरी	अ-गाडरवारा	1	60.00	1
		ब-करेली	11	1064.00	0

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा सोलंकी, उपसचिव.